डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश
सेक्टर-11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ-226031

पत्रांकः ए0के0टी0यू0 / कुस0का0 / स्था0 / 2024 / 4731 दिनांकः 22 नवम्बर, 2024

सेवा में,

निदेशक / प्राचार्य,
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्थान।

विषयः Tele-MANAS (टेली-मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एण्ड नेटवर्किंग एक्रोस स्टेट्स) का प्रचार-प्रसार किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्याः I / 795416 / 2024 / 16-3099 / 270 / 2024 दिनांक 13.11.2024 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के संदर्भ में अवगत कराना है कि शासन के पत्र में उल्लिखित चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 / अध्यक्ष कार्यकारी समिति, एन0एच0एम0 के पत्र संख्याः 4663 दिनांकः 17.10.2024 (प्रति संलग्न) के माध्यम से प्रदेश में Tele-MANAS (टोल फ्री नं0-14416 अथवा 1800 891 4416) के प्रचार-प्रसार हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के पत्र दिनांक 13.11.2024 के साथ संलग्न चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा Tele-MANAS (टोल फ्री नं0-14416 अथवा 1800 891 4416) के प्रचार-प्रसार हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय

(रीना सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।
2. नोडल अधिकारी, फार्मेसी एण्ड मैनेजमेंट संकाय, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।
3. स्टाफ आफिसर, ए0के0टी0यू0, लखनऊ को मा0 कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।

(रीना सिंह)
कुलसचिव

5

संख्या- I/795416/2024 / 16-3099/270/2024

प्रेषक,

चिरौंजी लाल,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कुलसचिव, ए0के0टी0यू0 , उ०प्र० लखनऊ।
2. कुलसचिव, एच0बी0टी0यू0, उ०प्र० कानपुर।
3. कुलसचिव, एम0एम0एम0यू० टी0, उ०प्र० गोरखपुर।
4. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उ.प्र., कानपुर।
5. सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उ0प्र0, लखनऊ।
7. निदेशक, बुंदेलखण्ड अभियांत्रिकी एवं प्रोद्योगिकी संस्थान, झांसी |
8. निदेशक, कमला नेहरु प्रोद्योगिकी संस्थान, झांसी |
9. निदेशक, समस्त राजकीय इंजीनियरिंग कालेज उ.प्र.
10. सचिव, प्रवेश एवं फीस विनियम समिति, लखनऊ |
11. निदेशक, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रोद्योगिकी संस्थान, कानपुर
12. निदेशक, आई०आर०डी०टी०, उ०प्र० कानपुर।

<u>प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3</u> <u>लखनऊ दिनांक-**13-11-2024**</u>

विषय: Tele- MANAS (टेली- मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग एक्रोस स्टेट्स) का प्रचार-प्रसार किये जाने के सम्बन्ध में |

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ.प्र. / अध्यक्ष कार्यकारी समिति, एन०एच०एम० के पत्र संख्या-4663 दिनांक: 17.10.2024(प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से प्रदेश में Tele- MANAS(टोल फ्री नं० - 14416 अथवा 1800 891 4416) कार्यक्रम के प्रभावी संचालन हेतु युवाओं एवं छात्रों के मध्य प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है |

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया Tele- MANAS(टोल फ्री नं० - 14416 अथवा 1800 891 4416) के प्रचार-प्रसार हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें |

संलग्नक यथोक्त

भवदीय,

Signed by
Chiraunji Lal
Date: 13-11-2024 13:55:32

(चिरौंजी लाल)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि संलग्नक सहित प्राविधिक शिक्षा अनुभाग -1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित |

आज्ञा से,

(चिरौंजी लाल)
उप सचिव।

3320
14/11/2024
AR(EST)
Shri Ravinder
13/11
421
13/11

संख्या 2502/ मालह-3-

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
प्राविधिक शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश, शासन।

संख्या 159 प्रमुख सचिव/व्या.शि.कौ.वि./प्रा.शि./202

पत्रांक सं0– SPMU/NHM/NCD/NMHP/HR/2024-26/05-D/4663 दिनांक–17/10/2024

विषय– प्रदेश में राष्ट्रीय टेली मानस कार्यक्रम के प्रभावी संचालन हेतु युवाओं एवं छात्रों में *"टोल फ्री नं0–14416 अथवा 1800 891 4416"* के प्रचार–प्रसार के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में राष्ट्रीय टेली मानस कार्यक्रम के प्रभावी संचालन हेतु *"टोल फ्री नं0–14416 अथवा 1800 891 4416"* का उचित प्रचार–प्रसार किया जाना अपेक्षित है। वर्तमान में प्रभावी रूप से युवाओं एवं छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य हेतु मानसिक चिकित्सा सेवा को त्वरित रूप में उपलब्ध कराये जाने के लिये **"राष्ट्रीय टेली मानस कार्यक्रम"** एक महत्वपूर्ण कड़ी है।

आप से अनुरोध है कि कृपया पत्र के साथ संलग्न संलग्न **"राष्ट्रीय टेली मानस कार्यक्रम"** की सेवाओं के प्रभावी संचालन के लिये अपने स्तर से अग्रेतर कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(संलग्नक–यथोक्त)

VS(A)

भवदीय,

17/10/2024

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश, शासन/अध्यक्ष कार्यकारी समिति,
एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।

(प्रवीण कुमार मिश्रा)
निजी सचिव
प्रमुख सचिव
प्राविधिक शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश, शासन

पत्रांक सं0– SPMU/NHM/NCD/NMHP/HR/2024-26/05-D तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
2. निदेशक (स्वास्थ्य) कार्यालय महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
3. महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कार्यक्रम–गैर संचारी, एन0एच0एम0 उ0प्र0।

914/VS(A)/T/24

JS

11-11-24

(अजीज अहमद)
विशेष सचिव,
प्राविधिक शिक्षा विभाग,
उ0प्र0 शासन।

SO-3

कृ0 वार्ता

11/11/24

(डा0 पिंकी जोवल)
मिशन निदेशक
एन0एच0एम0, उ0प्र0।

राष्ट्रीय टेलीमानस स्वास्थ्य कार्यक्रम, उ0प्र0

आज के इस आधुनिक एवं प्रतिस्पर्धा के समाज में युवाओं एवं छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर अपनी उपलब्धियों को अर्जित करने के लिये नित–नये मानसिक दबाओं, भवनात्मक द्वेष/जलन, मानसिक अवसाद तथा मानसिक तनाव जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। समाज में बहुतायत देखा जाता है कि वर्तमान में महत्वकांक्षाओं और आधुनिकता की दौड़ में युवाओं एवं छात्रों के मध्य आत्महत्या के विचार एवं व्यवहार का खतरा बढ़ता जा रहा है। अतः युवाओं एवं छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता प्रदान करते हुये लक्षित हस्ताक्षेप एवं समर्थन प्रणाली को विकसित करने हेतु प्रदेश में प्रभावी रूप से राष्ट्रीय टेलीमानस कार्यक्रम को मानसिक स्वास्थ्य प्रबन्धन के रूप में त्वरित रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा शुरू किये गये टेली मेन्टल हेल्थ असिस्टेस एण्ड नेटवर्किंग एक्रॉस स्टेट्स (टेलीमानस) के माध्यम से एक 24 x 7 समर्थन प्रणाली का उपयोग करते हुये *"टोल फ्री नं0–14416 अथवा 1800 891 4416"* का उपयोग किये जाने हेतु जारी किया गया है। जिसके क्रम में प्रदेश में टोल फ्री नं0 के माध्यम से आबाध्य रूप से टेलीमानस कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

युवाओं एवं छात्रों के लिये कॉलेज/विश्वविद्यालय परिसरों में कैंटीन, मेस, पुस्तकालय, शौचालय, वॉशरूम, छात्रावास तथा स्टेण्ड आदि में टेलीमानस के *"टोल फ्री नं0–14416 अथवा 1800 891 4416"* प्रदर्शन एवं व्यापक प्रचार से अधिक से अधिक युवाओं एवं छात्रों को राज्य द्वारा संचालित टेलीमानस प्रकोष्ठ के प्रशिक्षित कुशल सलाहकारों के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवाओं का उपयोग ससमय प्रदान किया जा सकेगा।

टेलीमानस सेवायें :–

प्रदेश में टेलीमानस 24 x 7 ऑन–डिमांड मानसिक स्वास्थ्य सेवा है तद्सम्बन्ध में फोन कॉल के माध्यम से सहजता से उपलब्ध है। यह मानसिक विशेषज्ञ चिकित्सकों से आवश्यकतानुसार परामर्श एवं कुशल सलाहकारों से जोड़ने की सामुचित पहल है। युवाओं और छात्रों को टेलीमानस के माध्यम से देशभर में सांस्कृतिक एवं क्षेत्रीय भिन्नताओं को पार करते हुये विविध मानसिक आवश्कताओं को पूरा करने के लिये 20 भारतीय भाषाओं में परामर्श प्रदान किया जा रहा है।

टेलीमानस सेवाओ का महत्व :–

टेलीमानस सेवायें जनमानस, छात्रों तथा युवाओं में न केवल मानोरोग विकारों से पीड़ित व्यक्तियों के मानसिक सेवाओं मात्र नहीं है उनके व्यक्तिगत, शैक्षिक एवं सामाजिक जीवन में आ रही चुनौतियों का सामना करने में मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवायें टेलीमानस कार्यक्रम के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है।

मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं से पीड़ित कोई भी व्यक्ति मदद के लिये टेलीमानस सेवाओं हेतु *"टोल फ्री नं0–14416 अथवा 1800 891 4416"* पर सम्पर्क कर सकता है। इसके अतिरिक्त शिक्षक, दोस्त, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों की मदद के लिये टेलीमानस पर सम्पर्क कर सकते है।

टेलीमानस की कॉलिग प्रक्रिया :–

टेलीमानस **टोल फ्री नं0** आई0वी0आर0एस0 आधारित है जिसमें लाभार्थियों द्वारा डायल करने के उपरान्त कॉल स्वतः कट (Disconnect) जाती है तद्पश्चात् टेलीमानस इकाई द्वारा स्वतः लाभार्थी को प्रशिक्षित कुशल परामर्शदाता द्वारा परामर्श हेतु कॉल सेवा प्रदान की जाती है।

टेलीमानस परामर्श सेवा में कटिबद्धता के साथ शत्–प्रतिशत यह सुनिश्चित किया जाता है कि लाभार्थी द्वारा पूछे गये प्रश्न, विषय, व्यक्तिगत जानकारी एवं प्रदान किये गये परामर्श को पूर्णतः गोपनीय रखा जाता है यद्यपि लाभर्थी द्वारा परामर्शदाता के परामर्श में तत्काल आत्महत्या करने के खतरे की स्थिति में कुशल परामर्शदाता द्वारा ऐसे मामलों दोस्तों, परिवारों के सदस्यों या जो लाभार्थी की मदद कर सकते है, उन्हे तत्काल सूचित कर ऐसी आपातकालीन परिरिथिति में सहयोगी प्रबन्धन हेतु निर्देशित किया जाता है।